ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 242-245

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

शिक्षा से महिलाओं में हुए बदलाव

1. पूनम वर्मा
2. डॉ0 हरिवंश यादव

1. शोध अध्येत्री, 2. शोध निर्देशक– पूर्व विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,टी0डी0पी0जी0 कालेज, जौनपुर (उ0प्र0) भारत

Received-07.03.2023, Revised-15.03.2023, Accepted-20.03.2023 E-mail: rajadharmendra487@gmail.com

सारांशः ***मानव–जीवन में शिक्षा के कार्य देश, समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सदैव भिन्न रहे है और कमोवेश वही स्थिति आज भी है। वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जीवधारी होने के कारण, खाना, कपड़ा और मकान उसकी जैविक आवश्यतायें है तथा सामाजिक होने के कारण उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता है। आज एक महिला को शिक्षा के साथ–साथ कार्य की आवश्यकता है, जिससे कि वह अपने को लाभप्रद समझ सके। उसे अवकाश चाहिए, जिसमें वह मनोरंजन कर सके। उसे संघर्ष की आवश्यकता है, जिससे कि वह उन्नति कर सके। उसे अवसर दिया जाना चाहिए, तॉकि वह अपनी विशेष योग्यता को विकसित कर सके। उसे धर्म और जीवन–दर्शन की आवश्यकता है, जिससे कि उसके जीवन का पथ–प्रदर्शन हो सके। ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा प्राप्त करके ही वह आत्म–निर्भर हो सकेगी और वह समाज के लिए भार नहीं होगी। वह अपना भार स्वयं वहन कर लेती है, जब वह शिक्षित होती है इससे न केवल उसका वरन् परिवार, समाज का भी हित होता है वह अपने कार्यो को सफलतापूर्वक करती है। वह जीवन में उन्नति करती है।***

कुंजीभूत शब्द– मानव–जीवन, समय और समाज, जीवधारी, शिक्षा, लाभप्रद, वेदाध्ययन, आजीवन आध्यात्म, पथ–प्रदर्शन।

आज भारतीय समाज कठिन समय से होकर गुजर रहा है, अतः उसे आत्मनिर्भर महिला की जरूरत है न कि ऐसी महिला की जो दूसरों का सहारा ढूंढ़ती है।

शिक्षा व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति में भी सहायक है, यदि शिक्षा उसे किसी व्यवसाय में कुशल बना देगी, तो इससे दो लाभ होंगे।

1. वे देश के उत्पादन में वृद्धि करेंगी।
2. उन्हें किसी कार्य को करने में कठिनाई नहीं होगी।

वैदिक काल से लेकर ईसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक कन्या का वेदाध्ययन उपनयन संस्कार से प्रारम्भ होता था। सूत्र युग में भी स्त्रियां वेदों का अध्ययन करती थी तथा मन्त्रोच्चारण करती थी।[1] पूर्व वैदिक काल में अनेक विदुषी स्त्री कवियों ने वैदिक मन्त्रों की रचना भी की थी और इसीलिए वे वेद में 'ऋषि' उपाधि से विभूषित हुई थी। अध्ययनरत छात्राओं की दो श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी की छात्रायें 'ब्रह्मवादिनी' कहलाती थी, जो आजीवन आध्यात्म तथा दर्शनशास्त्र की छात्रा रहती थी। द्वितीय श्रेणी में 'सद्योवधू' कहलाती थी और विवाह के पूर्व तक ये अपना अध्ययन जारी रखती थी। कन्याओं के लिए वेदाध्ययन आवश्यक था, क्योंकि स्त्रियों को नियमित रूप से प्रातः संध्या वैदिक प्रार्थनायें करनी पड़ती थी और पत्नियां यज्ञादि में अपने पति के साथ मंत्रोच्चारण करती थी।

रामायण में विवरण है कि सीता नियमित रूप से संध्या पाठ करती थी।[2] जब तक समाज में वेद और दर्शन के अध्ययन का विशेष महत्व रहा उसमें स्त्रियां पुरूषों के समान भाग लेती रहीं। मीमांसा जैसे गूढ़ विषय में भी स्त्रियां रूचि लेती थी इसका प्रमाण 'काश कृत्सनी' नामक ग्रन्थ है, जिसकी रचना 'काशकृत्सन' नामक ब्रह्मज्ञानी ने की थी और जो स्त्रियां उसमें विशिष्टीकरण करती थी उन्हें 'काशकृत्सना' कहा जाता था। दूसरा उदाहरण उच्च कोटि की दार्शनिक महिला गार्गी का है जिसने दर्शनशास्त्र पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न किये थे। महाभारत के अनुसार पाण्डवों की माता कुन्ती अथर्ववेद में निष्णात थी प्राचीन भारत में स्त्रियों का विदुषी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

बौद्ध युग में भी स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रचार था। बौद्ध संघ की छत्र छाया में अनेक भारतीय महिलाओं ने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। तथा अपनी विद्वता से संघ को गौरवान्वित किया। संघ के अन्तर्गत तथा बाहर अनेक स्त्रियां थी, जो धर्म तथा दर्शन के नित्य सत्य को समझने के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करती थी। एक उदाहरण अशोक की पुत्री संघमित्रा का है जो बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के प्रसार के लिए लंका गई थी। कौशाम्बी के राजा सहस्रानीक की पुत्री जयन्ती ने तीर्थंकर महावीर के धर्म सम्बन्धी तर्को से संतुष्ट होकर उनसे प्रवज्या ग्रहण की तथा आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करती रही।[3] संघ की भिक्षुणियों की शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में बौद्ध साहित्य प्रायः मौन है ऐसा प्रतीत होता है कि 300 ई0पू0 से 800 ई0पू0 तक बौद्ध धर्म ने स्त्रियों की शिक्षा में कोई मदद नहीं की थी, लेकिन इतना निश्चित है कि उनकी शिक्षा उपेक्षित नहीं रही होगी।[4]

अध्ययन के पश्चात् कुछ स्त्रियां अध्यापनक का कार्य करती थी। उपनिषदों में स्त्री शिक्षिकाओं के वर्णन है, किन्तु वे

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

विवाहित थी अथवा अविवाहित यह स्पष्ट नहीं हैं। शिक्षिकाओं को 'उपाध्याया' कहा जाता था।[5] अनुमानतः वैदिककाल में परिवार का वरिष्ठ सदस्य स्त्रियों को शिक्षा दिया करता था, किन्तु 'आचार्याओं' का उल्लेख भी मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि माता–पिता अपनी पुत्रियों को उनके समीप शिक्षा ग्रहण करने भेजते थे, परन्तु स्त्री शिक्षिकाओं की संख्या अधिक नहीं थी।[6] इसी तरह घर से बाहर जा कर उच्च शिक्षा ग्रहण करने की प्रथा भी अधिक प्रचलित न थी, क्योंकि चौथी ईसा शताब्दी के रचनाकार हारीत के वर्णन ''तत्र ब्रह्मवादिनी नामग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहेच भैक्षचर्येति'' से ऐसा लगता है कि बालिकाओं को गृह में ही किसी सम्बन्धी पुरूष से शिक्षा लेनी चाहिए, इस विचारधारा का प्रारम्भ हो चुका था। यही कारण है कि प्राचीन विश्वविद्यालयों के वर्णनों में कही भी ''छात्री'' का उल्लेख नहीं है।

तीसरी शताब्दी ई0पू0 तक सामान्य तथा परिवार में ही बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी तथा उनका तत्सम्बन्धी उपनयन संस्कार भी होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कन्याओं को वैदिक एवं साहित्यिक शिक्षा भी दी जाती थी, किन्तु कालान्तर में स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा बाल विवाह जैसे कुप्रथा के प्रचलन के कारण बालिकाओं की शिक्षा पर आघात किया गया। ई0 शताब्दी के प्रारम्भ तक बालिकाओं का उपनयन संस्कार केवल रस्में रह गया और अन्त में उसे समाप्त कर दिया गया। मनु तथा याज्ञवल्क्य की व्यवस्था ने स्त्रियों की शिक्षा को अत्यन्त आघात पहुंचाया। इन्होंने स्त्रियों के विवाह संस्कार को ही उपनयन रूप मानकर पति सेवा को ही गुरूकुल निवास बना दिया और यही से महिलाओं पर निर्भरता का प्रारम्भ होता है, धर्मशास्त्रकारों ने इनके विरूद्ध षड्यन्त्र सा रच डाला तथा वैदिक अध्ययन के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी उन्हें शूद्रों के समकक्ष रखकर उनकी शिक्षा समाप्त कर दी।

इसी समय विवाह में योग्य वर की प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता भी चल पड़ी, जिसके दुष्परिणामस्वरूप अल्पवय में कन्या विवाह होने लगा तथा शिक्षा का अवसर समाप्त हो गया। डॉ0 अल्तेकर ने नारी शिक्षा के हास पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'सम्पन्न परिवारों में कम आयु में विवाह होने के कारण बालिकाओं को शिक्षा पूर्ण करने का बहुत कम अवसर उपलब्ध होता था। निर्धन परिवार की बालिकायें गृहकार्य में व्यस्त रहती थी अतः अध्ययन हेतु उनको समय उपलब्ध नहीं हो पाता था। ऐसी बालिकायें विवाह के समय आवश्यक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर पाती थी। वैदिक मंत्रोच्चारण की अल्पत्रुटि भी भयंकर समझी जाती थी, सम्भवतः इसीलिए त्रुटिपूर्ण वेदाध्ययन को प्रतिबन्धित कर देना उचित समझा गया।7

आदर्श जीवन–यापन के लिए बौद्धिक तथा भावनात्मक विकास शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव हो सकता है। शिक्षा के हास के आरम्भ में सम्भवतः उच्च शिक्षा केवल उच्च परिवार की नारियों को ही दी जाती थी किन्तु प्रत्येक बालिका को उसकी स्थिति के अनुरूप अवश्य शिक्षित किया जाता होगा, क्योंकि मनुस्मृति युग में ही सातवाहन कुल की राज महिषियों ने शासन चलाया था और यह कार्य शिक्षा के अभाव में असम्भव है वैदिक तथा साहित्यिक शिक्षा का हास अवश्य हो रहा था, किन्तु गृह विज्ञान की शिक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाती थी।[8] स्वतत्रंता के पश्चात भारत सरकार ने पहला महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डॉ0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की स्थापना की थी। इस आयोग ने महिलाओं की शिक्षा और उसके विविध आयामों पर विस्तार से चर्चा की। तथापि कमीशन के सभी पुरूष सदस्यों के मत महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में जो विचार कुछ दशक पूर्व हुआ करते थे, उससे थोड़ा सुधरे थे।

1949 में इस तरह का अवलोकन महिला के पत्नी–माँ की भूमिका के बोध के स्थायित्व को इंगित करता है। तेजी से बदल रहे समाज और उसकी आवश्यकताओं ने परिवार में असमान लैंगिक संबंधों की व्यापकता पर ध्यान नहीं दिया। आयोग दो स्थितियों के मध्य डांवाडोल होता प्रतीत हो रहा था, समान उद्देश्य के तहत महिला और पुरूष की शिक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम स्वीकार करें या परिवार निर्माण जो कि महिलाओं की प्राथमिक भूमिका है, इसके लिए उन्हे विशेष कौशल सिखाने की आवश्यकता है।

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं का प्रवेश 19वीं सदी के मध्य से ही प्रारम्भ हो गया था, परंतु इसको व्यापक स्वीकृति 20वीं सदी के मध्य में मिली। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां निर्मित करने में सरकार की गति धीमी थी, परंतु समाज सुधारकों और महिला संगठनों ने सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया। स्वतंन्त्रता के इतने लंबे काल–खण्ड के बाद भी भारतीय महिलाओं की भूमिका को लेकर द्वन्द्व है।

ये शिक्षा की हकदार है, इससे सभी सहमत है, लेकिन उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जाय इसको लेकर मतभेद है। इस संदर्भ में 1949 में राधाकृष्णन आयोग के सामने एक महिला की टिप्पणी इस प्रकार थी– ''आधुनिक शिक्षित भारतीय महिलान तो खुश है न संतुष्ट, न ही सामाजिक रूप से उपयोगी। भारतीय महिला जिंदगी में अनुपयुक्त है। उसको अत्यधिक दबाया गया है और उसे आत्माभिव्यक्ति के लिए अवसरों की आवश्यकता है। नई शिक्षा उसे यह अवसर उपलब्ध कराएगी।''

यह निश्चित धारणा है कि महिलाओं का मुख्य व्यवसाय निपुण गृह–निर्माता बनना है, लेकिन यह भी सत्य है कि महिलाओं के संसार को केवल एक संबंध तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने महिलाओं की शिक्षा की समस्या के अभिप्राय को अनुभव किया और इस समस्या को हल करने के लिए मापन के विशेष तरीकें को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवस्था से आगे स्वदेशी शासन के दृढ़ आग्रह से महिला शिक्षा के प्रति समाज की द्वन्द्वात्मक सोच में कमी आने लगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने उल्लेख किया कि महिला शिक्षा के सामान्य उदेश्य और लक्ष्य पुरुषों की शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य से भिन्न नहीं है, परंतु पहली पंचवर्षीय योजना में यह भी कहा कि– "जिस मार्ग से महिला शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा, वह अत्यावश्यक रूप से भिन्न होगा।"

यह कहा जा सकता है कि शिक्षा पर गठित सभी आयोग, चाहे उनकी अध्यक्षता पुरुषों द्वारा या महिलाओं द्वारा, गैर–गांधी या गांधीवादी द्वारा की गई हो, परंतु वे सभी के सभी महिलाओं की समानता, राष्ट्रीय विकास में उनकी सहभागिता और महिला शिक्षा के क्षेत्र और प्रतिमान के बीच संबंध जोड़ने में असफल रहे। शैक्षिक प्रक्रिया के प्रतिकूल पत्र का सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिंग की रचना एवं किस प्रकार महिला समानता एक मूल्य है और किस प्रकार मे शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इस पर कोई विचार नहीं किया गया।

विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा– स्वतन्त्रता से अब तक देश में महिला साक्षरता दर में निःसंदेह व्यापक अभिवृद्धि हुई है। सन् 1951 में महिला साक्षरता जहाँ मात्र 09 प्रतिशत थी 1991 में 40 प्रतिशत तथा 2011 में 64.8 प्रतिशत से बढ़कर 73 फीसद हो गई किंतु पुरुष साक्षरता की तुलना में यह अभी के भी कम है। विमल रामचंद्रन की प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कहती हैं कि– "विगत दस वर्षों में संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का महत्व एक अपरिहार्य सामाजिक आवश्यकता बन गई है। सतत् अन्तर्राष्ट्रीय दबाव ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता और ऋण की उपलब्धता को आवश्यक बनाया है, इससे प्रशासकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है।[9] फलतः गैर–सरकारी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों और नवोदित प्रयोग हो रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा प्रादेशिक विभिन्नता के साथ लिंग असमानता का है। जहां उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निम्न प्रगति की हैं, वहीं केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु ने अच्छें परिणाम प्रस्तुत किए हैं।

उच्च शिक्षा में महिलायें – साक्षरता एवं प्रारंभिक शिक्षा सामाजिक और मानव विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है और यह बेहतर स्वास्थ्य तथा आय के स्रोत के निर्माण में एक साधन है और उच्च शिक्षा महिलाओं के सामाजिक प्रगति और गतिशीलता को सुनिश्चित करती है एवं बौद्धिक तथा वैयक्तिक विकास की ओर ले जाती है प्रायः अनेक बार, अभिजात्य संस्कृति को निर्मित करती इस प्रकार उच्च शिक्षा को वैयक्तिक पारिवारिक और सामाजिक गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए।

इनकी शिक्षा से जुड़ी एक विरोधाभास यह रही है कि साहित्य और प्रारंभिक शिक्षा जो महिलाओं के बड़े समूह से जुड़ा है, एक धुंधला परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जबकि उच्च शिक्षा में महिलाओं की उपस्थिति का प्रतिचित्र उतना दुःखद नहीं है।

करुणा चानना ने उल्लेख किया है कि 1950–51 में महिलाओं का अनुपात कुल पंजीकरण में 10.4 फीसदी था, जबकि यह 1980–81 में बढ़कर 27.2 फीसदी हो गया और 1996–97 में 52 प्रतिशत हो गया। स्वतत्रंता के तुरंत बाद का दशक विकास कार्यो और तकनीकी गतिविधियों से परिपूर्ण था, इसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। फलतः राष्ट्रीय एजेंडा की मदद से उच्च–मध्य वर्ग तथा उच्च जातियों की महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का प्रवेश द्वार खुल गया। चानना का मानना है कि अस्सी के दशक में सुनिश्चित नीतियों के अभाव और नारी शिक्षा अभिवृद्धि के लिए कदमों के अभाव से नारी शिक्षा की प्रगति धीमी हुई। शिक्षा के विविध आयामों में परिवर्तन का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, व्यक्तियों की जीविका अभिवृद्धि की प्राथमिकता और वैयक्तिक एवं पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण हुआ।

यद्यपि इस बदलाव के संदर्भ में व्यापक अनुभवात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं है, किंतु इस पर कुछ सर्वेक्षण संभव है। वे महिला छात्र जो कैरियर की ओर गंभीर थीं, वे कला संकाय विशेषकर विज्ञान संकाय से वाणिज्य और विधि विषय की ओर आकर्षित होने लगीं, वाणिज्य पढ़ने वाली महिला छात्रों को बैंक में और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नौकरी का आकर्षण विधि विषय, जिसमें अभी तक पुरुषों का एकाधिकार था, उसने अपने दरवाजे महिलाओं के लिए खोले। विधि में महिलाओं का प्रवेश उनको केवल वकील के रूप में प्रैक्टिस करने या न्यायपालिका से जुड़ने का अवसर ही नहीं, उपलब्ध कराता, बल्कि वैधानिक क्षेत्र में शोध कार्य एवं महत्वपूर्ण पद भी उपलब्ध कराते थे, जहां महिलायें समायोजित हो सकती थी।

इसके कारण भी वैधानिक क्षेत्र में महिलाओं को प्रवेश मिला इसके अलावा महिलाओं से सम्बन्धित कानून के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मुकदमेंबाजी एवं दावा प्रस्तुत करने हेतु नारिवादियों का यह विश्वास था कि महिला वकील ही महिला मुद्दों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकती हैं, रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम, जैसे वाणिज्य, विधि, इंजीनियरिंग और

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं का बढ़ता प्रवेश यह संकेत दे रहा है कि शिक्षा की उदार स्थिति बहुत रूपक, छात्रों के हित में सफल, हो रही है क्योंकि महिलाओं में रोजगार उन्मुखता का प्रचलन दिख रहा है।

दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अल्प अवधि वाले पाठ्यक्रम जैसे पॉलिटेक्निक, कम्प्यूटर कोर्स और सूचना प्रौद्योगिकी में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। रोजगार के अवसरों के खुलने और स्वरोजगार की संभावनाओं में महिलाओं द्वारा गैर–परंपरागत पाठ्यक्रम को अपनाने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखने लगी क्योंकि महिलाओं के लिए पारिवारिक एवं व्यवसायिक भूमिकाओं को एक साथ निभाने की आवश्यकता है।

इस विषय में करुणा चानना का मत उल्लेखनीय है। उनका कथन है, ''ये पात्र, (जिन्होंने नये विषय में प्रवेश लिया) महानगर में मध्यम और उच्चस्तर के वेतन भोगी व व्यवसायिक वर्ग से संबंधित हैं। वे उन लोगों में से एक है, जहां दो बच्चे वाले छोटे परिवार का मानक है। इसका अर्थ है कि वह अपने परिवार की इकलौती लड़की यह भी पाया गया कि इंजीनियरिंग करने वाले छात्रो के पिता भी इंजीनियर थे, इससे यह पता चलता है कि उच्च शिक्षा में महिला पात्रों के नए अभिमुखीकरण में अभिभावकों की प्रेरणा बहुत निर्णायक भूमिका निभाती हैं।''[10]

नौकरी और विषयों में वृद्धि से महिलाओं के लिए पहले की तुलना में विकल्प बढ़े है और जीविका–वृत्तिका के आगमन ने शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं को विगत चार दशकों के दौरान उत्पन्न, मान्यताओं से जोड़ा जो उत्तर–उदारीकरण के दौर में ज्यादा तीव्र हुई। बाजार अभिमुखता, उत्पादन में सुधार और प्रशासन के लिए बेहतर कौशल, विस्तृत सूचना, ज्ञान, और, व्यवसायीकरण अनिवार्य विशेषता माने जाते हैं।

आज बाजार में प्रशिक्षित, प्रबंधन, प्रशिक्षित और कंप्यूटर जानकारों की बहुत मांग है। इस तरह की जरूरतें एक तरफ तो कुशलता पर बल देती, काम को व्यवसाय स.श मानती हो दूसरी तरफ ये उम्मीदवारों के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है।

शहरी क्षेत्रों की महिलाओं ने इस तरह के पाठ्यक्रम अपनाए, और ऐसी महिलायें जो उत्साही थीं जिन्हें अभिभावक या पति का सहयोग प्राप्त था, उसने छोटे या मध्यम व्यापार को शुरू करने के साहसिक कार्य द्वारा स्व–रोजगार को प्रारंभ किया, इस परिवर्तित परिस्थिति का महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि व्यवसायिक महिलाओं की पहली पीढ़ी को विवाह और कैरियर में से किसी एक का ही चुनाव करना पड़ता था, जबकि वर्तमान पीढ़ी विवाह और कैरियर दोनों को अपना रही है, पर इन दोनों के मध्य सामंजस्य बनाने में उन्हें कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है।

अतः हम कह सकते है कि शिक्षा से महिला में जो व्यापक बदलाव अब तक दिखाई दे रहे है वे उनकी भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद देगी। शिक्षा जाति, धर्म, क्षेत्र के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें उपयोगी नागरिक बनाने मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पायें। यही शिक्षा व्यवस्था की सार्थकता होगी साथ ही सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण हो पायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. काठक गृह्य सूत्र, 25/23.
2. रामायण, 5/14–49.
3. भगवती सूत्र, जिल्द–3, पृ0–257 (गुजराती एडिशन)।
4. भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्रथम भाग, पृ0–130.
5. पांतञजलि का महाभाष्य, 4/1/49.
6. पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलीजेशन, पृ0–14.
7. प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, पृ0–162.
8. मनुस्मृति, 9/75.
9. विमला रामचन्द्रन, विसिवल बट अनरिचड : सेमिनार कॉन्टिन्यूइंग कंसर्न, नं0 474, फरवरी, 1999.
10. करूणा चानना संपा0, ''सोशलाइजेशन एजूकेाश्न एंड वुमेन, एक्सप्लाएटेशन इन जेन्डर आइडेंटिटि, ओरिएंड लांगमैन, नई दिल्ली 1988.

*****